

म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26 अरेरा हिल्स किसान भवन जेल रोड भोपाल

क्रमांक/स्था./बी-1/विविध-73/ 1187

भोपाल दिनांक 07/08/2024 ^{email}

प्रति,

संयुक्त संचालक,
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
आंचलिक कार्यालय ग्वालियर.


विषय:—श्री नारायण धाकड़, सहायक ग्रेड-2, मण्डी समिति कैलारस का प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण करने के संबंध में।

संदर्भ:—माननीय मंत्रीजी, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, भोपाल की नोटशीट क्रमांक-1194 दिनांक 28.07.2024

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित नोटशीट द्वारा श्री नारायण धाकड़ सहायक ग्रेड-2, कृषि उपज मण्डी समिति कैलारस जिला मुरैना को कृषि उपज मण्डी समिति सबलगढ़ जिला मुरैना में प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण करने के निर्देश दिये गये हैं।

कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1190 दिनांक 28.11.2014 द्वारा म0प्र0 कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 की धारा 30(3) के अंतर्गत मण्डी समिति सेवा के कर्मचारियों को, उसी राजस्व संभाग की किसी अन्य मण्डी समिति में प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण करने के अधिकार संयुक्त/उप संचालक, आंचलिक कार्यालयों को प्रत्यायोजित किये गये हैं।

अतः प्रत्यायोजित अधिकार के तहत श्री नारायण धाकड़, सहायक ग्रेड-2, मण्डी समिति कैलारस का मण्डी समिति सबलगढ़ में प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण कर मुख्यालय को पालन प्रतिवेदन भिजवाना सुनिश्चित करें।


(श्रीमन् शुक्ला)

प्रबंध संचालक सह आयुक्त,
म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल